

भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2895

दिनांक 27.8.2013/5 भाद्रपद, 1935 (शक) को उत्तर के लिए

राजभाषा हिन्दी का प्रयोग

2895 कैप्टन जय नारायण प्रसाद निषाद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रम और बैंक अपने पत्राचार में केवल अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कर राजभाषा अधिनियम का उल्लंघन कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे उपक्रमों और बैंकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) उक्त उपक्रमों और बैंकों को हिन्दी भाषा में पत्राचार करने के अनुदेश जारी करने सहित सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर.पी.एन. सिंह)

(क) एवं (ख): सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और बैंकों के पत्राचार की व्यवस्था राजभाषा अधिनियम 1963 और उसके तहत बने राजभाषा नियम 1976 के नियम 4 के अनुसार अपेक्षित है जिसका उद्धरण संलग्न है।

(ग): प्रत्येक केन्द्रीय सरकारी कार्यालय/उपक्रम/बैंक के प्रशासनिक प्रधान का यह दायित्व है कि वह राजभाषा अधिनियम और नियम का अनुपालन सुनिश्चित करे। तथापि, जब भी उपक्रमों/बैंकों आदि द्वारा राजभाषा नियमों के उल्लंघन का मामला राजभाषा विभाग के संज्ञान में आता है तो सुधार हेतु कार्रवाई की जाती है।

राजभाषा नियम 1976 का नियम 4 - केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि-

(क) केन्द्रीय सरकार के किसी एक मंत्रालय या विभाग और किसी दूसरे मंत्रालय या विभाग के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार के एक मंत्रालय या विभाग और क्षेत्र 'क' में स्थित संलग्न या अधीनस्थ कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी में होंगे और ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार, ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे संबंधित आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए, समय-समय पर अवधारित करें;

(ग) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के ऐसे कार्यालयों के बीच, जो खण्ड (क) या खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट कार्यालयों से भिन्न हैं, पत्रादि हिन्दी में होंगे;

(घ) क्षेत्र 'क' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों और क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करें;

(ङ.) क्षेत्र 'ख' या 'ग' में स्थित केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों के बीच पत्रादि हिन्दी या अंग्रेजी में हो सकते हैं;

परन्तु ये पत्रादि हिन्दी में ऐसे अनुपात में होंगे जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्यालयों में हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की संख्या, हिन्दी में पत्रादि भेजने की सुविधाओं और उससे आनुषंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर अवधारित करे;

परन्तु जहां ऐसे पत्रादि—

(i) क्षेत्र 'क' या क्षेत्र 'ख' किसी कार्यालय को संबोधित है वहां यदि आवश्यक हो तो, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, पत्रादि प्राप्त करने के स्थान पर किया जाएगा;

(ii) क्षेत्र 'ग' में किसी कार्यालय को संबोधित है वहां, उनका दूसरी भाषा में अनुवाद, उनके साथ भेजा जाएगा;

परन्तु यह और कि यदि कोई पत्रादि किसी अधिसूचित कार्यालय को संबोधित है तो दूसरी भाषा में ऐसा अनुवाद उपलब्ध कराने की अपेक्षा नहीं की जाएगी।